महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन –456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 26-5/2022(शै.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 23-10-2022

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान से सम्बद्ध

राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय,उज्जैन

शैक्षणिक सेवा हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रण अधिसूचना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान चिन्तामण गणेश मार्ग पो. जवासिया उज्जैन (म.प्र.) द्वारा सत्र 2018-19 से प्रतिष्ठान परिसर, उज्जैन में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय संचालित किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन वेद की सभी शाखाओं एवं आधुनिक विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है ।

NEP 2020 के शैक्षिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन में वेदविभूषण- प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (11^{th} and 12^{th} - equivalent - समकक्ष) का अध्ययन कराया जा रहा है । परीक्षा हेतु राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय "महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदसंस्कृत शिक्षा बोर्ड" से संबद्ध रहेगी ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन परिसर में संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के लिए संविदा के आधार पर निम्नलिखित सेवाओं के नियोजन हेतु योग उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहे हैं ।

ये सेवाएं तात्कालिक संविदा के आधार पर ही होंगी। यह पद आधारित सेवा नहीं है।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन के लिए आवेदन करने एवं चयनित होने पर प्रतिष्ठान द्वारा देश के पांच राज्यों में संविदा के आधार पर (I) **पुरी (ओडिशा)**(II) **शृंगेरि (कर्णाटक)** (III) **द्वारका (गुजरात)** (IV) **बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड)** (V) **गुवाहाटी (असम)** में संचालित "राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों" में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

शैक्षणिक-

वेद की मौखिक परम्परा के अनुसार वेद का सस्वर अध्ययन एवं संपूर्ण वेद शाखा को कण्ठस्थ किये हुए वेद विषय के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता, मानदेय राशि, अनुभव, नियम एवं शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं । इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर सभी संलग्नकों के साथ स्पीड पोस्ट से प्रतिष्ठान को प्रेषित करें । प्रतिष्ठान कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कारने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2022 है ।

दूरभाष (0734) 2502266, 2502254, 2502255
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

शैक्षणिक सेवा-(*आवश्यकता अनुसार)

क्र.	विषय	स्थान	आयु सीमा	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय
1	प्राचार्य	1	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	1,35,000/-तक
2	ऋग्वेद शाकल शाखा	1	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	65,000/-
3	कृष्ण-यजुर्वेद-तैत्तिरीय शाखा	1	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	65,000/-
4	सामवेद राणायनीय शाखा	1	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	65,000/-
5	सामवेद जैमिनीय शाखा	2	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	65,000/-
	कुल	**6**		

नोट :- उक्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा। शासन निर्दिष्ट टैक्स /टी.डी.एस. देय होगा।

*पद आधारित सेवा नहीं है। कभी भी पद सृजन एवं स्थायी नियुक्ति नहीं होगी।

(I) प्राचार्य व्यवस्था हेतु आवश्यक योग्यता–

1. गुरुमुख से वेद अध्ययन किये हुए घनान्तपाठी वैदिक विद्वान।
2. 10 वर्ष का किसी वेद पाठशाला में वेद की कोई एक शाखा का उच्च कोटि का सस्वर अध्ययन कराने का अनुभव।
3. संस्कृत भाषा दक्षता और वेद भाष्य का अच्छा ज्ञान हो।

वांछनीय योग्यता

1. किसी वेद विद्यालय अथवा संस्था में प्राचार्य या साथ में प्रशासनिक संबंधी कार्य किया हो ।
2. कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता तथा विद्यालय एवं छात्रावास के लेखा प्रपत्र एवं अन्य प्रशासनिक कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए ।

(II) वेद अध्यापक व्यवस्था के लिए आवश्यक योग्यता

1. गुरुमुख से सस्वर वेद अध्ययन किये हुए घनान्तपाठी / वेद की सम्बन्धित शाखा का सस्वर पारम्परिक अध्ययन / वेद के सस्वर अध्ययन के साथ (विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित वैदिक परंपरा के अनुसार शाखाओं में से किसी एक में) विश्वविद्यालयों से प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि/

किसी एक वेद के सस्वर अध्ययन में अत्यन्त प्रतिष्ठित वैदिक संस्थानों द्वारा पारम्परिक प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित घनान्तपाठी /सामवेद में रहस्यान्त अध्ययन एवं सस्वर सामगान में समर्थ/अथर्ववेद में प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान ।

2. 05 वर्ष का किसी वेद पाठशाला में वेद की सम्बन्धित शाखा का सस्वर अध्ययन कराने का अनुभव।
3. संबन्धित वेदशाखा संपूर्ण कण्ठस्थ होना आवश्यक है।
4. संस्कृत भाषा दक्षता और वेद भाष्य का अच्छा ज्ञान हो।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाएँ एवं नियम व शर्तें –

1. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी संविदा के आधार पर होगी, कभी भी स्थायी नियुक्ति नहीं होगी या पदों का सृजन नहीं होगा । अध्यापकों को प्रतिष्ठान के वेद अनुसन्धान, वेद अनुसन्धान आलेख रचना, वेदों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, वैदिक प्रशिक्षण, वेद मुद्रण प्रूफ शोधन, वेद सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी सहित अन्य शैक्षिक कार्य भी प्राचार्य अथवा अध्यापक के कर्तव्य में अन्तर्गत है। वेद विद्यालय के अलावा छात्रावास की सभी व्यवस्था, छात्रों को अनुशासन में रखना, समय-सारणी का पालन करना अध्यापकों के दायित्व रहेंगे। प्रतिष्ठान के विवेकानुसार एवं आवश्यकता को देखते हुए, प्रतिष्ठान अन्तर्गत अन्यत्र राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
2. वेद विद्यालय वेद की मौखिक परम्परा के साथ साथ, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदाङ्गों एवं अन्य आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जायेगा ।
3. वेद अध्यापकों के साक्षात्कार (इंटर्व्यू या संपरीक्षण) समय प्रत्येक अध्यापक अपने साथ रा. आ. वे.वि में प्रवेश हेतु इच्छुक आने वाले 10 छात्रों की सूची, तथा प्रपत्र में उन छात्रों का प्रवेश विवरण, माता-पिता से रा. आ. वे.वि. प्रवेश हेतु अनुमति पत्र लाना है। प्रत्येक वेद विषय में छात्र उपलब्ध होने पर ही अन्तिम नियोजन होगा एवं चयन होने पर यह शर्त प्रत्येक वर्ष लागू होगा।
4. अध्यापकों को परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करना होगा।
5. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय वेद विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय है।
6. विद्यालय का जीवन उच्च अनुशासित, पारम्परिक तथा वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान पर आधारित होगा।
7. विद्यालय के अध्यापक एवं छात्रों को पारम्परिक वेश भूषा में रहना होगा। सभी अध्यापक (वेद एवं अन्य विषय के) को वैदिक वेश भूषा में रहना अनिवार्य है। (पुरुष के लिए धोती-कच्छ धारण, महिला के लिए- साड़ी एवं ब्लाउज ही होगी)
8. अध्यापकों एवं छात्र का आचरण वैदिक परम्परा एवं शिष्टता अनुसार होगा, अन्यथा आचरण होने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी ।
9. वेद विद्यालय के छात्रावास एवं विद्यालय में किसी भी प्रकार के आधुनिक गेजेट-मोबाईल आदि उपयोग नहीं होगा । छात्रावास में, विद्यालय में, कक्षा में या स्वयं के मोबाईल उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
10. अध्यापकों को कम्प्यूटर-साक्षरता एवं कार्य क्षमता अनिवार्य है। ICT की दक्षता होनी चाहिए ।
11. प्रत्येक अध्यापक को 100 रूपये के स्टांप पेपर पर सेवा शपथ पत्र देना होगा तथा सभी शर्तों को स्वीकारना होगा।

12. उपयुक्त पाये जाने पर, चयन समिति के विवेकाधिकार पर योग्यता, वयोमति एवं अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है। चयन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
13. वेद विद्यालय के सभी तरह के व्यवस्था में सचिव, म.सां रा. वे.वि.प्र., उज्जैन के आदेश मान्य होंगे।
14. **उपर्युक्त सेवाओं सम्बन्धी प्रक्रिया को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या अंशतः निरस्त करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के अधीन रहेगा। इसमें किसी प्रकार का वाद/विवाद /पत्राचार आदि मान्य नहीं होगा । किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय अधिकार क्षेत्र मध्यप्रदेश माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ ही होगा ।**
    कोविड-19 एवं छात्र संख्या या अन्य किन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर यह चयन/नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः/अंशतः निरस्त की जा सकती है।

सचिव
म.प्र.वि.वे.रा.सां., उज्जैन